

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक  
तहसील अकलेरा, जिला झालावाड



❁ जाति प्रमाण पत्र ❁

क्रमांक: प.सुगम/ जा.पं. / 2011 / 5146 / 6293



प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री / सुश्री / श्रीमती

पुत्र / पुत्री / पत्नी

निवासी

जिला / डिवीजन

अनिता मीना

दानमल मीना

अकलेरा

झालावाड

राज्य / संघ राज्य / राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी / प्रार्थीनी जाति / समुदाय

का है जिसे निम्नांकित अनुसार

जो

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति  
की सूची संख्या में क्रम सं.

9

मीना  
के रूप में मान्यता दी गयी है।  
पर दर्ज है।

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956
- मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा -  
- अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गये अनुसार
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-  
-(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / सुश्री / श्रीमती

जाति

जिला / डिवीजन

स्थान

दिनांक

अनिता मीना

मीना

झालावाड

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

निवासी

अकलेरा

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

तहसीलदार

हस्ताक्षर व कार्यालय नोहर

नोट: जन्म का [ ] राज्य को हटा दीजिए जो लागू नहीं है।

यदि अनुसूचित जाति/जनजाति में निवास "राज्य" का अर्थ नहीं होगा जो जनजाति/जाति 1950 धारा 20 में है।